न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 05/2020 दायर दिनाँक 16.06.2020

आवेदक		अनावेदकगण
1. दुलाराम पुत्र मांगूराम उम्र 53 वर्ष जाति जाट निवासी सिंगरावट कलां, तहसील— डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पप्पूराम पुत्र मनाराम 2. धर्माराम पुत्र मनाराम 3. मुकेश पुत्र मनाराम 4. धन्नी देवी पुत्री मनाराम 5. समु देवी पुत्री मनाराम 6. सोहनी देवी पत्नि मनाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण सिंगरावट कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. गुमानाराम पुत्र मांगूराम 8. रामनिवास पुत्र मांगूराम 9. झणकारी पत्नि मांगूराम समस्त जाति जाट निवासीगण सिंगरावट कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत धारा—251 ए
राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री अशोक भाकर वकील प्रार्थी
2. श्री हरफुल राव वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

दिनाँक :— 16.10.2020

यह है कि मैं ग्राम सिंगरावट कलां का खातेदार काश्तकार हू तथा अपने खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा जो मोजा सिंगरावट कलां पटवार हल्का बालिया में अवस्थित है, उक्त खसरा नम्बर 183 में वर्तमान में हमारे खेत तक पहुचने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिस हेतु नये रास्ते के लिये आवेदन कर रहे है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए उप धारा 1 के अन्तर्गत खसरा 184 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा में से रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया ।

15.10.20

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 05/2020
दायर दिनाँक 16.06.2020, निर्णय दिनाँक 16.10.2020
दुलाराम बनाम पप्पुराम वगैरा।

राजीनामा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही गांव के है तथा प्रार्थी का खेत खसरा 183 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा मौजा सिंगरावट कला, पटवार हल्का बालिया में अवस्थित है। उक्त खसरा नं0 183 में खेत में पहुंचने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिस हेतु खसरा नम्बर 184 रकबा 09. 03 बीघा में से रास्ते के लिए आवेदन किया है। उक्त खेत खसरा नम्बर के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 अपने खेत में से रास्ता देने के लिए सहमत है। माफिक राजीनामा डिक्री सादर फरमाकर प्रार्थी व अप्रार्थी का राजीनामा तस्दीक कर खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 184 रकाव 09 बीघा 03 बिस्वा में से जरिये राजीनामा दिलवाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने राजीनामा पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 183 में खेत में पहुंचने हेतु कोई रास्ता नही है जिस हेतु खसरा संख्या 184 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा में रास्ते के लिए आवेदन किया गया है जिस में अप्रार्थीगण संख्या 04, 05 व 06 अपने खेत में से रास्ता देने के लिए सहमत है अतः राजीनामा स्वीकार कर रास्ते के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 07 व 09 ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 22 दिनांक 13.07.2020 द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार आवेदन के सबसे नजदीक खसरा सं0 184 के दक्षिण सींव से रास्ता लगता है जिसकी लम्बाई 550 फुट और चौडाई 12.67 फुट है। कुल रकबा 0.08 बीघा बनता है। जिस पर दोनों पक्षकार सहमत है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15/10/20
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 05 / 2020
दायर दिनॉक 16.06.2020, निर्णय दिनॉक 16.10.2020
दुलाराम बनाम पप्पूराम वगैरा।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 183 वाके सरहद सिंगरावट कलां में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 22 दिनॉक 13.07.2020 में दर्शित भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं धारा से संबन्धित नियमों की पालना करते हुए नियमानुसार, उभयपक्षकारान की सहमति अनुसार अथवा नवीनतम नियमावली अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लावें।राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम अपील मियाद पूर्ण होने के पश्चात की जावें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 22 दिनांक 13.07.2020 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 16.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner